न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 92/2016

1. रामेश्वर पुत्र श्योलाल जाति माली निवासी ढाणी करमाडी तन पपुरना तह. खेतड़ी
2. सरली पत्नी रूड़ाराम जाति माली निवासी ढाणी करमाडी तन पपुरना तह. खेतड़ी

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.2014 मु0नं0 41/2014 सरकार बनाम रामेश्वर न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : –

1. श्री शीशराम सैनी, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय –

दिनांक 10.11.2017

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि शिकायतकर्ता सुरेन्द्र शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा ने तहसीलदार खेतड़ी को अपीलान्ट द्वारा गोपालजी के मन्दिर की भूमि में अवैध हरे पेड़ काटने एवं अतिकमण करने को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी जांच पटवारी हल्का द्वारा की गई तो मन्दिर गोपालजी की भूमि में कोई अतिकमण अपीलान्ट द्वारा करना नही पाया गया। इस प्रार्थना पत्र की जांच में एक नई कहानी गढ़ अपीलान्ट को 25 वर्गमीटर भूमि में दुकान बनाकर अतिकमण करना मानकर तहसीलदार खेतड़ी को अपीलान्ट के खिलाफ अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसको दर्ज कर तहसीलदार ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट के पास कभी भी तहसीलदार खेतड़ी के कोई नोटिस नहीं आये है। शिकायतकर्ता ने स्वयं ने तामील कुनिन्दा से मिलकर झुठी तामील दिखाई है तथा तारीख पेशी तारीख पेशी पर अपीलान्ट की और से स्वयं ने नागरमल एडवोकेट को नियुक्त कर वकालत नामा पर अपीलान्ट के झुठे हस्ताक्षर कर एक मनघडन्त जबाब स्वंय शिकायतकर्ता ने पेश करवाया है, अपीलान्ट ने न तो अपने अधिवक्ता को जानता है ना कभी वह उसने जबाब एवं वकालतनामा पर हस्ताक्षर किया है, ना किसी को वकील नियुक्त किय है, अपीलान्ट को कभी भी मुकदमा चलाने एवं अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही रही है, दिनांक 20.

5.14 को जो जवाब अपीलान्ट द्वारा दिया गया है, उस पर भी अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है, वह जरिये वकील पेश किया गया है इससे पूर्व दिनांक 05.05.14 को जो जवाब दिया गया है, उस पर रामेश्वर की अंगुठा निशानी है, जबकि रामेश्वर 10वी पास है ओर हस्ताक्षर करता है, अगुंठा नही लगता है। इससे साफ जाहिर है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं नह ही अपीलान्ट की झुठी तामील दिखाकर स्वंय ने ही वकील नियुक्त कर झुठा जावाब दिलवाकर अधीनस्थ न्यायालय में साठ–गाठ कर अपीलान्ट के विरूद्ध झुठी 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की बेदखली की कार्यवाही करवाई है, जिसका ज्ञान अपीलान्ट को कभी नहीं रहा है। अपीलान्ट ने कोई दुकान बनाकर अतिकमण नही किया है। उक्त दुकान अपीलान्ट के खातेदारी भूमि में है जिसमें बगैर जॉच किये ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीला पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे अपीलान्ट को सुनवाई साक्ष्य को सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः मामले को गुणावगुणपर निर्धारित करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराया एंव कथन किया कि शिकायतकर्ता सुरेन्द्र शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा ने तहसीलदार खेतड़ी को अपीलान्ट द्वारा गोपालजी के मन्दिर की भूमि में अवैध हरे पेड़ काटने एवं अतिकमण करने को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी जांच पटवारी हल्का द्वारा की गई तो मन्दिर गोपालजी की भूमि में कोई अतिकमण अपीलान्ट द्वारा करना नही पाया गया। इस प्रार्थना पत्र की जांच में एक नई कहानी गढ़ अपीलान्ट को 25 वर्गमीटर भूमि में दुकान बनाकर अतिकमण करना मानकर तहसीलदार खेतड़ी को अपीलान्ट के खिलाफ अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसको दर्ज कर तहसीलदार ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट के पास कभी भी तहसीलदार खेतड़ी के कोई नोटिस नहीं आये है। शिकायतकर्ता ने स्वयं ने तामील कुनिन्दा से मिलकर झुठी तामील दिखाई है तथा तारीख पेशी तारीख पेशी पर अपीलान्ट की और से स्वयं ने नागरमल एडवोकेट को नियुक्त कर वकालत नामा पर अपीलान्ट के झुठे हस्ताक्षर कर एक मनघडन्त

जबाब स्वंय शिकायतकर्ता ने पेश करवाया है, अपीलान्ट ने न तो अपने अधिवक्ता को जानता है ना कभी वह उसने जबाब एवं वकालतनामा पर हस्ताक्षर किया है, ना किसी को वकील नियुक्त किय है, अपीलान्ट को कभी भी मुकदमा चलाने एवं अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही रही है, दिनांक 20.5.14 को जो जवाब अपीलान्ट द्वारा दिया गया है, उस पर भी अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है, वह जरिये वकील पेश किया गया है इससे पूर्व दिनांक 05.05.14 को जो जवाब दिया गया है, उस पर रामेश्वर की अंगुठा निशानी है, जबकि रामेश्वर 10वी पास है ओर हस्ताक्षर करता है, अगुंठा नही लगता है। इससे साफ जाहिर है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं नह ही अपीलान्ट की झुठी तामील दिखाकर स्वंय ने ही वकील नियुक्त कर झुठा जावाब दिलवाकर अधीनस्थ न्यायालय में साठ–गाठ कर अपीलान्ट के विरूद्ध झुठी 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की बेदखली की कार्यवाही करवाई है, जिसका ज्ञान अपीलान्ट को कभी नहीं रहा है। अपीलान्ट ने कोई दुकान बनाकर अतिक्रमण नही किया है। उक्त दुकान अपीलान्ट के खातेदारी भूमि में है जिसमें बगैर जॉच किये ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीला पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे अपीलान्ट को सुनवाई साक्ष्य को सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः मामले को गुणावगुणपर निर्धारित करें। तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा परित निर्णय दिनांक 30.06.2014 काबिले निरस्त होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी अपीलान्ट्स द्वारा राजकीय ग्राम पपुरना के भूमि ख0न0 2305 रकबा 5X5 = 25 वर्गमीटर है0 राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के अनतर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 30.06.2014 को अवलोकन किया गया। भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक अपीलान्ट द्वारा ग्राम पपुरना के भूमि ख0न0 2305 रकबा 5X5 = 25 वर्गमीटर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे साबित होता

हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध हो। ना ही अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट में कोई सार नहीं होने से अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–आदेश–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2014 को यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 10.11.2017 को मेरे द्वारा अलग से टकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं